

Additional Attachment- 2-2

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ़ में मौना-ल्वेशाल-कालापातल मोटर मार्ग के कि०मी० 10 से इंटर कॉलेज व प्रा० पा० होते हुए मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरौ तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

प्रारूप-5

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाय।

ह०/
प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिसासी अभियन्ता
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लेखा विभाग
निर्माण खण्ड, ल०नि०वि०
नैनीताल।

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयाँकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 05 जून, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत विकास खण्ड रामगढ के मौना-ल्वेशाल-कालापातल मोटर मार्ग के किमी0 10 से इण्टर कॉलेज व प्राइमरी पाठशाला होते हुये मटियाली से प्राचीन मंदिर कालीरौ तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र0का0, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन, जिसकी लम्बाई 3.0 किमी0 एवं लागत ₹ 33.60 लाख है, पर विभागीय टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 33.60 लाख (रु0 तैंतीस लाख साठ हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्वोरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिपिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22 लेखाशीर्षक-50 के तहत से प्राप्त एवं पूंजीगत परिषय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़कें/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D., Nainital.

अधिग्रहण-00 -24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 230/XXVII(2)/2016 दिनांक 28 जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
प्रभारी सचिव

संख्या- / 111(2)/16-57(एम0एल0ए0)/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायर्वाही हेतु प्रेषित :-

25. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
26. जिलाधिकारी, नैनीताल।
27. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी।
28. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
29. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
30. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
31. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
32. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।

Photo Copy Attested


Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D., Nainital.

आज्ञा से,

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, PWD (S038)

आवंटन पत्र संख्या - 1932/III(2)/16-57(MLA)/2016

अनुदान संख्या - 022

अलोटमेंट आई डी - S1606220299

आवंटन पत्र दिनांक - 30-Jun-2016

HOD Name - Chief Engineer PWD (4227)

1: लेखा शीर्षक	5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	04 - जिला तथा अन्य मंडल
	800 - अन्य व्यय	03 - राज्य सेक्टर
	02 - तथा निर्माण कार्य	

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Plan Voted
			योग
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2290000	10000	2300000
Photo Copy Attested	2290000	10000	2300000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 10000

Assistant Engineer
Construction Division
P.W.D., Nainital.

(अश्विनी सिंह पांगली)
उप सचिव, लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड शासन।